सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 77/18 **निर्णय दिनांकः– 19.06.2019**

1. श्रीमती राजा बेवा खिवरें खॉ जाति मुसलमान निवासी बिजेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति :–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट

की पात्रता के आधार पर ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 78/4 में तादादी 19 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 79/1 में 9 बीघा 17 बिस्वा कुल तादादी 29 बीघा 4 बिस्वा भूमि बारानी का आवंटन वर्ष 1978 को किया गया था। वादगत् भूमि का नवीनीकरण अदालत मातहत द्वारा किया जाता रहा है। अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी को आवंटित भूमि चकबन्दी में आ चुकी है। चकबन्दी पश्चात् उक्त भूमि चक 8 सीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 131/12 के किला नम्बर 16, 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 131/13 के किला नम्बर 3 ता 8, 12 ता 14 कुल तादादी 12 बीधा कमाण्ड भूमि के रूप में पैमूद हुई। जिसका नवीनीकरण सवंत् 2038 तक किया गया। चकबन्दी के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया व टीसी से पुख्ता की कार्यवाही की जाती है।

अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किये बिना उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटन से पूर्व अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होकर अन्य भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः

अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश बिना दिनांक का एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि के टीसी आवंटी को सूचना व नोटिस दिये बिना पारित किया गया है। अपीलांट्ा एक ग्रामीण परिवेश की महिला काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे कानूनी प्रक्रिया की समयबद्व जानकारी रखें। ऐसी स्थिति में अपीलांट को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण निर्णय की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलांट्ा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 30—04—2010 को एक दरखवाश्त पेश की गई थी कि चक 8 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 131/12 तथा मुरब्बा नम्बर 131/13 की कुल 13 बीघा राजकीय भूमि का अस्थाई आवंटन का नवीनीकरण नहीं किया तथा न ही खारिज किया तथा उक्त रकबा अन्य व्यक्ति को आवंटित कर देने के कारण उसे पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे। उक्त दरखवाश्त पर तहसीलदार, कोलायत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट्ा राजा को दिनांक 04—07—1978 को 13 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन होने तथा बाद में उक्त रकबा अन्य को पुख्ता आवंटित होने की सूचना दी गई।

एक व्यक्ति को टीसी आवंटन किये जाने के उपरान्त उक्त आवंटन खारिज किये बिना ही भूमि अन्य को आवंटित करना नियम विरूद्व था फिर भी आवंटन अधिकारी ने भूमि सिवायचक तथा खाली मानकर अन्य को आवंटित करने में घोर अनिमितता की है। पूर्व टीसी धारक को सुनवाई का मौका दिये बिना वही रकबा अन्य को आवंटित कर देने से पूर्व आवंटी तथा कब्जाधारक की पात्रता एवं दावा समाप्त नहीं माना जा सकता। आवंटन अधिकारी को चाहिए था कि वे

अपीलांट/आवेदक की पात्रता के आधार पर अन्यत्र रकबा आवंटित करते परन्तु अपीलांट की दरखवाश्त पर सवंत् 2037 के बाद नवीनीकरण नहीं होने, टीसी भूमि अन्य को आवंटित हो जाने तथा तबादला देय नहीं होने की टिप्पणी लिखकर आवेदक का दावा एकतरफा खारिज कर दिया गया। आवंटन अधिकारी का यह निर्णय एकतरफा एवं अविवेकपूर्ण है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट की पात्रता निरस्त करने का अपीलाधीन निर्णय (बिना दिनांक) निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की पात्रता को अन्य लम्बित आवंटन प्रकरणों में शामिल करते हुए तथा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 9 से 14 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर